

15/3/24

पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त वकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 7/6/24 को पेश हो।

आदेश से रीट

7/6/24

पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त वकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 26/11/2024 को पेश हो।

Handwritten signature

26/7/24

पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त वकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 6/9/24 को पेश हो।

आदेश से रीट

6/9/24

पत्रावली पेश हुयी उभयपक्ष पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य से व्यस्त वकाश में है। पत्रावली साबिक आदेश दिनांक 22/11/24 को पेश हो।

आदेश से रीट

22/11/24

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष आदि 03 पक्ष पक्ष आदी आदेश में दिनांक 5/1/24 को पेश हो


5/1/24

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष कारण एवं उनके आधीवक्ता उपस्थित। पत्रावली में तनकीगत का प्रम की गई। पत्रावली में वादी एवं गरीबी वफा उनके आधीवक्ता को निश्चिन्ता तीन बार आवाजे लगवाई गई पत्र को उपस्थित नहीं आया। समन 5-50 PM हो चुका है, पत्र को वादीगण-गरीबीगण एवं उभयपक्ष आधीवक्ता उपस्थित नहीं आया। न्यायादर में वादीगण एवं गरीबीगण को पुनः दो बार आवाज लगवाई गई, पत्र को उपस्थित नहीं आया।

अतः वादीगण एवं वादी आधीवक्ता के न्यायालय में उपस्थित नहीं करने वादीगण एवं उभयपक्ष अन्तर्गत आर 188 का प्रमाण कठिनकारी माधीवक्ता तथा वादीगण द्वारा उपस्थित लगाए -

Handwritten signature

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज ज्वारा १/१ जेता 188 RTA	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
--------	--	--

5/12/24 दावे के बिकरु जारिवादीगण डाय जल्लुन काउटर
बलेम जारिवादीगण एवं उनके आधीवक्ता के
न्यायालय में उपस्थित रही है। से अदम
हानसी) अदम पौकी में जाति किता दाता
है।
निर्णय सरे इजलास जुवाजा जमाना
उक्ति पचि वारी है। पत्रावली कौसल शुवार
होकर दाजल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम
है।

5/12/24
सहायक कलेक्टर
मोतवाका

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी-अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. ज्वारा पिता जालमा जाति गुर्जर आयु वयस्क निवासी गून्दली, तह0 एवं जिला, भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. जैता पिता कालू जाति गुर्जर आयु बालिग निवासी गून्दली तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. शंभूलाल पिता रामा जाति गुर्जर आयु बालिग निवासी गून्दली तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. नारायण पिता भोजा जाति गुर्जर आयु बालिग निवासी गून्दली तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
4. देवा पिता हरलाल, जाति गुर्जर आयु बालिग निवासी गून्दली तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
5. जगन्नाथ पिता हरलाल जाति गुर्जर आयु बालिग निवासी गून्दली तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
6. लालू पिता खुराडा जाति गुर्जर आयु बालिग निवासी गून्दली तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, भीलवाड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा


प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या 26/2018 राजस्व वाद

वादी स्वयं एवं वादी अधिवक्ता श्री हरदयाल वर्मा उपस्थित नहीं। प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगायत 6 स्वयं एवं प्रतिवादीगण अधिवक्ता उपस्थित नहीं- इस वाद में आज तारीख 05.12.2024 को पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है-

वादी एवं वादी अधिवक्ता के न्यायालय में उपस्थित नही आने से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावे के विरुद्ध प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउण्टर क्लेम प्रतिवादीगण एवं उनके अधिवक्ता के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से अदम हाजरी / अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।


(अरुण कुमार जैन)
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा